तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद/आवेदन संख्या अपील 15/17 अनवान पवनीदेवी/मिरगो आदि	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

राज्य सरकार के निर्देशनुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र/पचायत घर जालीपा पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 25-5-18 को अटल सेवा केन्द्र/पंचायत घर जालीपा पर पत्रावली पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
(एसडीएम) बाड़मेर

आदेश

25.05.2018

पवनी

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत बमुकाम अटल सेवा केन्द्र जालीपा पर पेश हुई। अपीलार्थीनी एवं उत्तरदाता संख्या 02 उपस्थित। अपीलार्थीनी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत जालीपा द्वारा नामान्तकरण संख्या 125 पर पारित आदेश को निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि अपीलार्थीनी के पिता सरूपाराम का स्वर्गवास होने पर अपीलाधीन नामान्तकरण पारित करने से पूर्व मृतक खातेदार के वारिसान की जांच किये बिना उत्तरदाता संख्या 02 को मृतक की विवाहिता पत्नी के नाम नामान्तकरण पारित किया जो पूर्णतया अवैध है। अपीलार्थीनी मृतक खातेदार सरूपाराम की जायन्दा पुत्री होने से मृतक की खातेदारी भूमि में अपना नाम अंकित करवाने की अधिकारिणी है। अपीलार्थीनी ने अपीलाधीन नामान्तकरण को निरस्त करने तथा मृतक खातेदार सरूपाराम की खातेदारी में उत्तरदाता संख्या 02 मिरगोदेवी के साथ अपना नाम अंकित करवाने हेतु निवेदन किया है।

अ.नि. मिरगोदेवी

अपील पंजीयन कर उत्तरदातागण को नॉटिस जारी किये गये। उत्तरदाता संख्या 02 ने ईकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया। उत्तरदाता संख्या 03 से 06 की और से एक आवेदन पत्र आदेश 22 नियम 04 व 09 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया गया है कि उत्तरदाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तरीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व अपील संख्या 15/2017 अनवान पबनीदेवी बनाम ग्राम पंचायत जालीपा
	07 बाबुराम व उत्तरदाता संख्या 08 अमियों पत्नी गोरखाराम का क्रमशः 23.10.2017 एवं 14.05.2016 को स्वर्गवास हो चुका है। अपीलार्थीनी द्वारा निर्धारित समयावधि में उनके कायम मुकाम को पत्रावली के अभिलेख पर नही लाया गया है। ऐसी स्थिति में अपील प्रकरण चलने योग्य नही होने से निरस्त किया जावें। न्याय आपके द्वार-2018 अभियान हेतु आयोजित शिविर अटल सेवा केन्द्र जालीपा में अपील प्रकरण में मजमे आम में जाचं की गई तथा राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी ग्राम गेहू के खाता संख्या 200 के अनुसार खसरा संख्या 120 रकबा 38.11 बीघा खातेदार गोरखाराम पुत्र सावताराम जाति मेगवाल सा. देह की खातेदारी में अंकित है। उक्त प्रविष्टि नामान्तकरण संख्या 361 के अनुसार किया जाना पाया गया है। नामान्तकरण संख्या 361 की प्रमाणित प्रतिलिपि जो अपील प्रकरण के अभिलेख पर उपलब्ध है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि उत्तरदाता संख्या 02 मिरगोदेवी पत्नी सरूपाराम द्वारा गोरखाराम के पक्ष में जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र से हस्तान्तरण की है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र प्रभाव में है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय का है। अपीलार्थीनी ने भूमि के बेचान होने के तथ्य को छिपाया है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र को निरस्त करवाये बिना अपीलार्थीनी इस न्यायालय से कोई अनुतोष पाने की अधिकारिणी नही है। अतः अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत अपील क्षैत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज की जाती हैं। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बाडमेर

Scanned by CamScanner